

वन भूमि की विस्तृत आख्या / औचित्य

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में मंगरूखाल-तनशालीसैण-कालिकाखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण। (15.550किमी.)(8.280है0)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 6108/III(2)/14-33(प्रा.आ.)/14 दिनांक 19.12.2014 के द्वारा 15.550 किमी. लम्बाई हेतु रूपया 228.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण कीह मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थनीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। यह मोटर मार्ग विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत पड़ता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामसभा मंगरूखाल, मठखानी, गाजर,तनशालीसैण, बाजकोटी, बजेयीबाखल आदि ग्रमणों की जनता को सीधे लाभ मिलते हुए आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ भी मिलेगा साथ ही जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय रामनगर से सीधे यातायात से जुड़ने की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे स्थनीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा व पलायन की कमी के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जिस हेतु हवाई सर्वेक्षण भी किया जा चुका है, इस समरेखन हेतु कम-से-कम वन भूमि तथा वृक्ष प्रभावित होने का ध्यान रखते हुए इस समरेखन का कार्य किया गया है।

अतः इस हेतु सिविल सोयम भूमि 4.230है0 व आरक्षित भूमि 4.050है0 इस प्रकार कुल 8.280है0 वन भूमि का हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। चूँकि यह मार्ग आबादी भाग में नाप भूमि से गुजरता हुआ दूसरे ग्रामों को जोड़े जाने हेतु उस मध्य पड़ने वाली वन भूमि से मार्ग को ले जाना ही एकमात्र विकल्प है, जिस हेतु समरेखण के अन्तर्गत वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

कनिष्ठ अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशायी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

वन क्षेत्र अधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र

अल्मोड़ा वन प्रभाग खालखो

उपप्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा